न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

. 2019RAAJu225RTA098 Mangaram Vs Kalyansingh n ors .

1. मंगाराम पुत्र भीखाराम जाट
2. भभूतराम पुत्र कालूराम जाट
   निवासीगण खांगटा, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. कल्याणसिंह पुत्र पोलजसिंह राजपूत, निवासी खांगटा, तहसील व जिला जोधपुर
2. शान्ति पत्नी श्रवणराम निवासी खांगटा, तहसील व जिला जोधपुर
3. कानाराम पुत्र पूनाराम निवासी खांगटा, तहसील व जिला जोधपुर
4. जसाराम पुत्र पूनाराम कुम्हार निवासी खांगटा, तहसील व जिला जोधपुर जरिये कायममुकामान--
   a. हाथीराम पुत्र जसाराम कुम्हार
   b. लालाराम पुत्र जसाराम कुम्हार
   c. पप्पुराम पुत्र जसाराम कुम्हार
   d. अणदी पत्नी जसाराम कुम्हार
   e. सीता पुत्री जसाराम पत्नी किशनाराम कुम्हार निवासी खारिया खंगार
   f. मीरा पुत्र जसाराम पत्नी गोकलराम कुम्हार निवासी पुन्दलू तहसील मेडता, जिला नागौर
   g. कमा पुत्री जसाराम पत्नी घासीराम कुम्हार निवासी पुन्दलू तहसील मेडता जिला जोधपुर
   h. राधा पुत्री जसाराम पत्नी रामदेव कुम्हार निवासी शिवरोड गोटन मेडता सिटी
5. पूराराम पुत्र मुकनाराम जाट निवासी खांगटा, तहसील व जिला जोधपुर
6. पुखराम दत्तक पुत्र सुगनाई कुम्हार निवासी खांगटा, तहसील व जिला जोधपुर
7. बक्साराम पुत्र मानाराम जाट निवासी खांगटा, खसरा नम्बर 142/1 हाल निवासी टेक्सी चौराया के पास एयरफोर्स मेस रातानाडा जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर पीपाडशहर दिनांक 29 जुलाई 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 09/2019 कल्याणसिंह बनाम शान्ति व अन्य.

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रामनिवास चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4ए से 4सी
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 08 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 09/2019 कल्याणसिंह बनाम शांति व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29 जुलाई 2019 के खिलाफ अदालत हांजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 19 अगस्त 2019 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम खांगटा की सीमा में स्थित खाता संख्या 740 के खसरा नम्बर 127, 128, 129, 130, 137 एवं 138 की अपनी खातेदारी की आराजियात एवं खांगटा रेलवे लाइन के सहारे-सहारे आम सार्वजनिक चलने वाले रास्ता से अप्रार्थीगण संख्या एक से आठ के खेत खसरा संख्या 258, 259, 248, 142, 143, 144 में से पूर्वी माठ के सहारे-सहारे होकर खसरा संख्या 146 में से दक्षिणी माठ के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहारे-सहारे प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी के खसरा संख्या 127 तक प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार लाल रंग से अंकित "ए - बी - सी - डी" प्रस्तावित मार्ग नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया और भू-अभिलेख निरीक्षक को मौका कमिश्नर नियुक्त कर ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 127, 128, 129, 130, 137 एवं 138 का मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर खसरा संख्या 127 तक आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना जाहिर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 जुलाई 2019 पारित करते हुए प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुंनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण पर सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील नहीं करवायी गयी और न ही मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में बनायी गयी है। मौका रिपोर्ट पर अपीलाण्ट या किसी मौतबिर या किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं है। वस्तुतः भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय में प्रार्थी-रेस्पो. को बुलाकर कार्यालय में बैठकर ही रेस्पो. संख्या एक की ईच्छानुसार ही रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट पर मात्र भू-अभिलेख निरीक्षक और रेस्पो. संख्या एक के ही हस्ताक्षर है। रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में दर्शाये गये रास्ते की दूरी की तुलना में वर्तमान में उपयोग में लिये जा रहे खसरा संख्या 1139 कटाणी रास्ते की दूरी तुलनात्मक रूप से कम है, परन्तु फिर भी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मिलकर गलत रिपोर्ट तैयार की गयी है। ऐसी गलत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया निर्णय कदापि सही नहीं हो सकता है। खसरा संख्या 1139 एक कटाणी रास्ता है, जो खसरा संख्या 1137 की भूमि पर पहुँचता है, उसके बाद खसरा संख्या 107 से 108 में से होते हुए खसरा संख्या 115 में आता है, वहाँ से होकर खसरा संख्या 121में पहुँचता है। खसरा संख्या 121 प्रार्थी-रेस्पो. स्वयं की भूमि है। यह तथ्य प्रार्थी-रेस्पो. अब तक न्यायालय से छुपाये हुए है। अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थी-रेस्पो. में उक्तानुसार खसरा नम्बर 121 व 1137 के संबंध में तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। मात्र इसी आधार पर प्रार्थी-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त जब खसरा संख्या 1137 से होकर वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही मौजूद है तो और नये रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के अनुसार धारा 251ए. के मामलों में मौका निरीक्षण भू-अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जानी चाहियें। मगर आलोच्य प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2016(2) आरआरटी 1281 एवं 2016-17 (पूरक) आरआरटी 597 की नजीरें प्रस्तुत की और अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट दिनांक 17 जून 2019 को पेश कर दी गयी। तब से दिनांक 29 जुलाई 2019 को अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने तक की अवधि में किसी भी अप्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट बाबत कोई उज्र-एतराज पेश नही किया गया। अतः अब अपील स्तर पर मौका रिपोर्ट बाबत एतराज उठाया जाना न्यायोचित नहीं है और न ही ऐसा किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये। अपनी बहस में रेस्पो. संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि रास्ते की तुलनात्मक दूरी के संबंध में मौका रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णन किया गया है और नियमों के तहत न्यूनतम दूरी का रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अतः अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4ए से 4सी श्री गणपतलाल चौधरी ने अधिवक्ता-अपीलाण्ट के तर्कों का समर्थन किया, जबकि राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में प्रार्थी-रेस्पो. को उसकी खातेदारी की भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे रास्ता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई विवाद नहीं है। मतभेद इस बाबत है कि रास्ता किस तरफ से दिया जाये। प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने उम्मेद से खांगटा मार्ग पर स्थित खसरा संख्या 258 की पूर्वी सीमा से आरम्भ करते हुए खसरा संख्या 259, 248, 142, 143, 144 की पूर्वी सीमा पर होते हुए खसरा संख्या 146 की दक्षिणी सीमा से रास्ता अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 127 तक रास्ते की मांग की है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक कोसाणा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तलब की, मौका कमिश्नर द्वारा पक्षकारान को मौके पर दिनांक 17 जून 2019 को उपस्थित रहने बाबत दिनांक 14 जून 2019 को नोटिस जारी किये और दिनांक 17 जून 2019 को मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा याचित रास्ता की पुष्टि करते हुए उसे अन्य आम लोगों के लिए भी उपयोगी बताया गया और यह भी रिपोर्ट में वर्णित किया गया कि यह कदीमी व न्यूनतम दूरी का रास्ता है जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है और न ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण संख्या 6, 7 व 10 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई 2019 को जवाब-प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसमें जाहिर किया गया कि मौका रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में नहीं बनायी गयी। उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण संख्या 6 भभूतराम व मघाराम के नोटिस, जो भू-अभिलेख निरीक्षक कोसाणा द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मुकर्रर दिनांक को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जारी किये गये, की पुश्त पर आसामी द्वारा लेने से इंकार की रिपोर्ट दो मोतबिरान के हस्ताक्षर सहित है। (अप्रार्थी संख्या 10 राज्य सरकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 10 का जवाब अन्य अप्रार्थीगण के साथ होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, सम्भवतः त्रुटि से अप्रार्थी संख्या 9 की बजाय 10 लिखा गया है, क्योंकि अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा अप्रार्थीगण संख्या 6 भभूतराम व 7 मघाराम की ओर से पेश किया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 9 वक्साराम का नाम लिखा है मगर हस्ताक्षर नहीं है अपितु हस्ताक्षर/अंगुष्ठनिशान के स्थान पर "(8)ut"की लिखा है)। अन्य किसी भी अप्रार्थीगण की ओर से मौका रिपोर्ट बाबत कोई उज्र-एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जो नजीरें 2016(2) आरआरटी 1281 एवं 2016-17 (पूरक) आरआरटी 597 अधिवक्ता-अपीलाण्ट की ओर से पेश की गयी है, उनमें माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व मण्डल द्वारा धारित किया गया है कि उभय पक्षकारान की मौजूदगी में मौका गिरदावर अथवा तहसीलदार द्वारा मौका देखा जाना नितान्त आवश्यक है। अदालत हाजा इन नजीरों का सम्मान करती है और आलौच्य प्रकरण में इन नजीरों के अनुरूप ही भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उभयपक्षकारान को निर्धारित दिनांक को मौके पर उपस्थित रहने की पूर्व सूचना जरिये नोटिस दी जाकर मौका देखा गया है। बावजूद सूचना यदि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं रहे तो उसके लिये ऐसा पक्षकार स्वयं उत्तरदायी होता है और ऐसे दायित्वविहीन पक्षकार को इन नजीरों के आधार पर कोई अनुतोष देय नहीं होता।

जो जबाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की ओर से प्रस्तुत किया गया, उसमें एक नजरी नक्शा संलग्न कर खांगटा रेल्वे स्टेशन से उत्तर की ओर ***खसरा संख्या 1139 में चलने वाले रास्ते से प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमियों को जोडने के लिए विकल्प उक्त रास्ता वाले खसरा संख्या 1139 से खसरा संख्या 1137 से 107 से 108 से 112 की दक्षिण माठ के सहारे-सहारे होते हुए 115 के मध्य से गुजरते हुए खसरा संख्या 121 जो स्वयं प्रार्थी की खातेदारी का होना बताया गया, तक रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया।*** अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से अदालत हाजा पूर्णतः असहमत है, क्योंकि अव्वल जो विकल्प अप्रार्थीगण की ओर से पेश किया गया है, उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। यदि गौर किया होता तो आदेश में इस संबंध में कोई अभिमत प्रकट किया जाता। खसरा संख्या 1139 गैरमुमकिन गोवा है। इसके अलावा बाकी खसरा नम्बरान में कोई रास्ता उपयोग में आना नहीं पाया जाता है। इन सभी प्रस्तावित खसरों में से भी रास्ते की दूरी का आकलन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाना चाहिये था। खसरा नक्शा के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता प्रदत्त रास्ते से न्यूनतम् दूरी वाला है।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1139 गैरमुमकिन गोवा तक प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 128 से आगे खसरा संख्या 121, 115, 112, 108; 107 व 1137 में से दिये जाने बाबत नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवा कर प्रदत्त रास्ते की कुल लम्बाई और रकबे से तुलना कर न्यूनतम दूरी एवं रकबे वाला रास्ता प्रदान किये जाने के संबंध में समुचित आदेश पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर